International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030
Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 3; Issue 1; January 2018; Page No. 402-404

भारतीय लोकतंत्र में सुशासन हेतु भ्रष्टाचार निवारण अपरिहार्य – एक विधिक अध्ययन

डॉ. मन्जूर अहमद मन्सूरी
अतिथि विद्वान, विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश
भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या जिसमें सभी सरकारों को विकास के प्रत्येक चरण पर सामना करना पड़ रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव आर्थिक एवं सामाजिक विकास की गति के दर पर पड़ता है। अध्ययनों एवं लोक सर्वेक्षणों में यह साबित किया है कि भारत में सरकार द्वारा उठाये गये अनेक कदमों के बावजूद अभी भी भ्रष्टावार बना हुआ है। इस समस्या के निवारण हेतु भ्रष्टाचार के मूल कारणों को समझकर नीति निर्धारण किया जाना आवश्यक है।

मूल शब्द : भ्रष्टाचार, सुशासन, निवारण, भारतीय, लोकतंत्र

प्रस्तावना
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः उसकी यह स्थिति उसे सामाजिक नियमों के अनुसार आचरण करने के लिए वाध्य करती है। व्यक्ति का समाज के अन्य व्यक्तियों के आचरण इस प्रकार संयमित एवं नियंत्रित होना चाहिये ताकि समाज के अन्य व्यक्ति प्रत्यक्ष या विवक्षित रूप से प्रभावित नही हो। इसके विपरीत व्यक्तियों का ऐसा आचरण जो स्वयं को लालच एवं अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करने वाला हो वह भ्रष्ट आचरण कहलाता है। अगर लोगों के ऐसे भ्रष्ट अचरण पर आर्थिक, राजनैतिक एवं नैतिक पतन होने लगेगा जिससे उभर पाना एक अति अव्यवहारिक परिकल्पना साबित होगी।

भ्रष्टाचार एक सीमा तक बढ़ चुका है कि लोगों का विश्वास लोक प्रशासन की अखण्डता से कम हो रहा है जिसके परिणाम स्वरूप न्याय प्रशासन व्यवस्था में कठिनाइयॉ उत्पन्न होती जा रही हैं। लोक सूचना के स्रोतों से लोक एवं निजी क्षेत्र के आर्थिक सव्यवहारों में भ्रष्टाचार तथा घोटालों की सूचनाएँ अक्सर ज्ञात होती हैं। विगत वर्षो में इस तरह के अपराध सामाजिक–आर्थिक एवं सामाजिक–राजनैतिक संस्थानों में तीव्रता से घटित हो रहे हैं बल्कि लोग आस्था वाले संस्था भी जैसे धार्मिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, खैराती एवं कल्याणकारी संस्थान और न्याय प्रशासनिक संस्थान भी अपनी साख भ्रष्टाचार और घोटालों में संलिप्तता के कारण खोते जा रहे हैं।

निगमित निकायों के द्वारा आर्थिक अपराध किया जाना मानव अभिकर्ताओं को निजी फायदा कमाने एवं एक सुरक्षित माध्यम बन चुका है जिससे वह आर्थिक अपराध कारित कर अपनी पहचान छुपाने के लिये निगमित आचरण का प्रयोग करते हैं।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति कोच्चेरिल रामन नारायणन ने कहा कि ''भारत की सभ्यता को इस बात का एक अद्वितीय गौरव प्राप्त है कि उसने विश्व को यह जताया है कि मनुष्य को केवल रोटी की आवश्यकता नही होती। सांस्कृति, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्य हमारे सामाजिक जीवन के मूल आधार रहे हैं। आज हम पाते हैं कि हमारे समाज में साम्प्रदायिकता, जातिवाद, हिंसा तथा भ्रष्टाचार जैसी बुराइयॉ व्याप्त हैं जिनके कारण हमारे सामाजिक जीवन में नैतिक तथा आध्यत्मिक सूत्रों के कमजोर होने के लक्षण दिखाई देने लगे हैं।

भ्रष्टाचार की समस्या एवं चुनौतियो से निवटने के लिए भारत में न्यायिक व विधायी मशीनरी सक्रिय है। भ्रष्टाचार निवारण अधियियम, 1988 इसी परिप्रेक्ष्य में अधिनियमित की गई है।

शोध का उद्देश्य
1. भारत में भ्रष्टाचार की प्रकृति एवं घटकों के आधार पर भ्रष्टाचार को परिभाषित करना, ताकि भ्रष्ट कार्यो को पृथक रूप से इंगित किया जा सके एवं ऐसे कार्यो को निशिद्ध करने के प्रभावी उपाय बनाये जा सके।
2. भ्रष्टाचार निवारण विधियों का अध्ययन करना ताकि ऐसी संविधियों के प्रावधानों के प्रवर्तन में आने वाली कठिनाइयों पर चिंतन कर और भ्रष्टाचार निरोधी कानूनों को अधिक मजबूत बनाया जा सके एवं बेहतर तरीके से लागू करवाया जा सके।
3. भ्रष्टाचार निरोधी कानून के प्रवर्तन के उन पहलुओं का अध्ययन करना जिसके दुरुपयोग की संभावना दर्शित हो, ताकि निर्दोश व्यक्तियों के मानव अधिकार संवैधानिक एवं अन्य संविधिक अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हों।
4. भ्रष्टाचार का व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के विकास पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों का अध्ययन करना एवं उनके निषेध और नियंत्रण हेतु उपाय सुझाना।

शोध का क्षेत्र एवं प्रविधि
प्रस्तुत शोध अध्ययन भ्रष्टावार की प्रकृति, परिभाषा एवं पहलूओं के संदर्भ में भारतीय समाज की परिस्थितियों में किया गया है। इस संदर्भ में भारतीय संविधियो का अध्ययन किया गया है। अतः शोध अध्ययन का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण भारत है। प्रस्तुत अध्ययन को मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनो समस्याओं को समाहित करते हुए प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों के द्वारा विश्लेषणात्मक विधि द्वारा पूर्ण किया गया है। आंकड़े संविधियों, संवैधानिक प्रावधानों, राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय प्रतिवेदन एवं संधियॉ, न्यायिक निर्णय, शासकीय एवं निजी प्रतिवेदन एवं बेव स्रोतों से प्राप्त किये गये हैं।

भ्रष्टाचार की समस्या एवं चुनौतियॉ
भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है जिसमें सभी सरकारों को विकास के प्रत्येक चरण पर सामना करना पड़ रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव

आर्थिक विकास के दर की गति को कम करता है। लोगों की यह आम धारणा है कि राजनीतिक एवं दफ्तरशाही भ्रष्टाचार, सरकारी निधियों का गवन, कपटपूर्ण पद्धतियॉ, परिवर्तन तथा विनियामक संस्थानों में भ्रष्टाचार बढ़ाती है।

न्यायिक दृष्टिकोण

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम स्पीकर कंस्ट्रशन कम्पनी (प्रा.लि.)[1] :– के मामले में उच्चतम न्यायालय ने पाया किः ''लोक पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा भ्रष्ट और संवैधानिक कृत्यों और सौदों में लिप्त होकर प्राप्त की गई सम्पतियों की जप्ती के लिए एक कानून के उपबंध की हमारे समाज की वर्तमान स्थिति में एक कराहती हुई आवश्यकता है।''

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत विचारण न्यायालयों द्वारा मामलों का निपटारा करने में लगने वाले औसतन समय में वर्षो से वृद्धि होती रही है। 1966 के अंत तक विचारण के लिए लम्बित मामलों की संख्या 8228 थी जबकि वर्ष 2005 के अंत तक विचारण के लिए लम्बित मामलों की संख्या बढ़कर 12703 हो गई। वर्ष 2005 में पंजीकृत मामलों की संख्या 3008 थी, 2162 मामलों में आरोप पत्र जारी किये गये थे और 2048 मामलों की सुनवाई पूर्ण हो चुकी थी। क्राइम ऑफ इण्डिया 2016 के रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधी विधि एवं सतर्कता एवं लोकायुक्त के अधीन के कुल मामले 25582 न्यायालय के समक्ष विचाराधीन थे, जिनमें से 117 मामले वापस ले लिये गये तथा 2010 मामले निपटाये गये शेष मामले विचाराधीन है।

मामलों के विचारण में विलम्ब का एक प्रमुख कारण अभियुक्त द्वारा कभी एक दलील तो कभी दलील देकर बार–बार स्थगन की तारीखे लिए जाने की प्रवृत्ति है। अभियुक्त की और से यह भी प्रवृत्ति रहती है कि वह लगभग प्रत्येक आंतरित आदेश को चाहे वह विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी विविध आवेदन पत्रों पर ही क्यों न जारी किया गया हो। उच्च न्यायालय और बाद में उच्चतम न्यायालय में चुनौती देकर विचारण पर रोक लगाने का आदेश प्राप्त करने का प्रयास करता है।

आए.एस.नायक बनाम ए.आर. अंतुले[2] :– के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में न्यायालय को इस विधान में उपबंधित शब्दों का साधारण व्याकरण अर्थान्वयन करना चाहिए। परन्तु जब ऐसे शब्दों की व्याख्या में संदिग्धता या अस्पष्टता दर्शित हो उस दशा में न्यायालय को विधायन के उद्देश्यों के अनुरूप ही शब्दों की व्याख्या करनी चाहिए। विधायन के उद्श्यों को समझने में किसी भी प्रकार के भ्रम की अवस्था को दूर करने के लिए संसद की ऐसे कानून को बनाने के पीछे क्या मंशा थी यह देखना आवश्यक है। न्यायालय को उस समय की परिस्थितियों को देखना चाहिए जिस समय ऐसा कानून बनाया गया था। इस बाद में न्यायालय ने लोक सेवक के विरूद्ध भ्रष्टाचार के मामले में कार्यवाही करने हेतु पूर्व अनुमति प्रदान करने वाले प्राधिकारियों को दिशा निर्देश स्थापित करते हुए कहा कि, अधिनियम कं अंतर्गत अभियोजन से पूर्व प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान किया जाना सिर्फ औपचारिकता मात्र नहीं है, अपितु यह एक अति गंभीर कार्य है। ऐसे मामले अभियोजन की अनुमति प्रदान करने से पूर्व मामले की परिस्थितियों, एकत्रित साक्ष्यों तथा अन्य अनुशांगिक तथ्यों का गहन अवलोकन करने के पश्चात ही ऐसी अनुमति प्रदान की जानी चाहिए, अन्यथा अप्रासांगिक आधारां पर किसी लोक सेवक को उसके शासकीय सेवक होने के संरक्षण से वंचित किया जाना दोषपूर्ण है।

सी.आर.बंसी बनाम महाराष्ट्र राज्य[3] :– के प्रकरण में न्यायालय ने यह कहा है कि कानून के प्रावधान का दुरुपयोग कर शासकीय सेवक को बिना उचित आधार के शोषित नही किया जाना चाहिए। परंतु जहॉ जहॉ प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद है वहॉ लोक सेवक के विरूद्ध उपधारणा की जा सकती है।

विनीत नारायण एवं अन्य बनाम भारत संघ (जैन डायरी का मामला)[4] :– इस मामले में अभिकथित संदेहों के बावत डायरियों, नोटबुकों तथा खुली शीट के सिवाय याचिकायों के विरूद्ध कोई भी साक्ष्य नही था। कथित साक्ष्य एक ऐसी प्रकृति का था जिसको याचिकायों के विरूद्ध एक विधिक साक्ष्य में नही समपरिवर्तित किया जा सकता था। उन धनराशियों के बावत तात्कालिक मामलें में कोई भी साक्ष्य नही था जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया कि उन्हे समवितरण के प्रयोजनार्थ जैनों द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। रकम के समवितरण के बारे में कोई भी साक्ष्य नही है। इस तथ्य को प्रथमदृष्टया सागित करने के लिए कोई भी साक्ष्य नहीं है कि याचिकायों के द्वारा किसी भी व्यक्ति का पक्ष दर्शाने या उसका विरोध करने के लिए हेतुक या पारितोषण के रूप में अभिकथित रकमों कर प्रतिग्रहण किया है और यह कि कथित पक्षपातों या विरोधों को अधिनियम की धारा 7 द्वारा यथा नुज्ञात किये गये कर्तव्यों के निर्वहन में दर्शाया गया था अतएव, न्यायालय को याचिकायों के विरूद्ध आरोपों की विरचना करने के लिए उसके संगत किसी भी साक्ष्य के अभाव में उपरोक्त सभी तथ्यों की उपधारणा करनी पड़ेगी।

न्यायपालिका का सामाजिक घटनाओं के नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान है। जिसमें भ्रष्टाचार के मामलों का विचारण एवं निस्तारण और भ्रष्टाचार की समस्या पर न्यायिक दृष्टिकोण समाज में भ्रष्टाचार के वेग को नियंत्रित करने में एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यायिक निर्णय कार्यपालिका के क्रियाकलापों को दिशानिर्देशों प्रदान करता है। तथा कई बार समय–समय पर विधायिका को भी संबंधित विषय पर कानून बनाने के लिए प्रेरित करता है। भारतीय न्याय व्यवस्था में वर्तमान समस्या मामलों की अधिकता की है। जिसमें मुख्यतः भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों के निर्णय में अन्य मामलों की तुलना में अधिक विलंब होता प्रतीत है। जिसका प्रमुख कारण यह है कि भष्टाचार के मामले राज्य के विरूद्ध होते हैं और ऐसे मामलों में शासन की ओर से पक्ष लोक अभियोजक द्वारा रखा जाता है न किसी प्राईवेट व्यक्ति द्वारा इस दिशा में अभियुक्त द्वारा बचाव घड़ी ही आसानी से किया जा सकता है और गवाहों को भी आसानी से प्रभावित किया जा सकता है।

भारत में जन चेतना अशिक्षा के कारण पीड़ित है जिसके फलस्वरूप अशिक्षा गरीब तबकों में व्याप्त है जिसके परिणाम इस वर्ग के लोग अपने मूल अधिकारों का संरक्षण कर पाने में असफल है। एक ओर प्रतिकूल प्रभाव यह है कि व्यवस्था से पीड़ित वर्ग का लोक व्यवस्था से विश्वास उठ चुका है। जिसके कारण जन–मानस के मन मस्तिष्क में लोक व्यवस्था का पालन करने की भावना का दमन हो रहा है।

भ्रष्टाचार का नियंत्रण तथा निषेध हेतु प्रतिज्ञा करना ही सुशासन की ओर प्रथम पहल है। परन्तु, सुशासन व्यवस्था के अन्तर्गत भी भ्रष्टाचार भली भांति पनप रहा है। यद्यपि, भ्रष्टाचार एवं सुशासन एक दूसरे के विरोधी ध्रुव होने के वावजूद भी एक ही परिवेश में मौजूद है। एक अच्छी शासन व्यवस्था में यह अति आवश्यक है कि किसी भी सामाजिक व आर्थिक बुराईयों से निपटने की सक्षम व्यवस्था मौजूद हो। भ्रष्टाचार समाज के कुछ एक वर्ग के संकुचित

हितों को साधने के लिए सम्पूर्ण शासन व्यवस्था को दूषित करने का प्रयास करता है सुशासन में एक बड़ी व्यवस्था में पारदर्शिता देश के नागरिकों के जनहित को संरक्षित करने के लिए बनाई गई है, परन्तु, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के आदर्श को समाज के शक्तिशाली वर्ग के द्वारा ध्वस्थ किया जाता है जिसे बचाने के लिए समग्र जनता को एकत्रित होने की आवश्यकता है।

सुशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जो देश एवं समाज का विकास करने में सहायक साबित होगी। सुशासन स्थापित करने के लिए उच्च स्तर की अखण्डता निष्पक्षता और पारदर्शिता की आवश्यता होती है। सुशासन में निम्न आवश्यक होती है, सुशासन में निम्न आवश्यक तत्व विद्धमान होना चाहिए–

1. औचित्यपूर्ण राजनीतिक तंत्र जो राज्य के विकास तथा जनतंत्र के प्रति जबावदेह हो। जिसमें सवच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शिता तथा प्रभावशाली विपक्ष की आवश्यकता होती है।
2. सुशासन मे आदान–विपक्ष में पूर्ण पारदर्शिता और जबावदेही,
3. शाक्तियों का स्पष्ट विभाजन,
4. क्रियाशील तथा दोषमुक्त प्रभावी अंकेक्षण व्यवस्था,

इग्लैण्ड में लोजीवन हेतु मानक निर्धारित करने हेतु लार्ड नोलेन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसके द्वारा सन् 1995 में सरकार को प्रतिवेदन प्रसतुत किया गया। प्रतिवेदन की साधारण सिफारिशों के अंतर्गत लोकजीवन को उन्नत बनाने हेतु लोकजीवन के साथ 7 सिद्धांत प्रतिपादित किये गये जो इस प्रकार है–

1. निस्वार्थता
2. अखण्डता
3. निष्पक्षता
4. जबावदेही
5. पारदर्शिता
6. ईमानदारी
7. नेतृत्व

उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर आचार संहिता का निर्माण करने हेतु सभी लोक निकायों को यह निर्देशित किया गया है कि वे अपने–अपने क्षेत्र में वृत्तिका नियम तथा आचार संहिताओं का निर्माण करने में इन सिद्धांतों को समाहित अवश्य करें।

निष्कर्ष

भ्रष्टाचार को पूर्णरूप से समाप्त करने का अभियान तभी सफल हो सकता है जब इसके आधारभूत कारण को पहचाना जा सकेगा और उसके अनुसार कोई प्रभावी नीति बनाई जा सकेगी। समाज एवं शासन के सभी अंग एक साथ मिलकर एक ऐसा सशक्त ढांचा तैयार करें जिसमें भ्रष्टाचार से लड़ने एवं इसे नियंत्रित करने की सम्यक क्षमता हो तथा मानव अधिकारों की गरिमा का भी ख्याल रखा जाए। इस प्रक्रिया में शासन के अंगों की विशेष भूमिका की अपेक्षा की जाती है जिसमें जांच एजेंसियों, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका प्रमुख है। अतः भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इन्हे और सशक्त बनाने की आवश्यकता है और इन सबसे पहले इन निकायों को स्वयं ही भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की आवश्यकता है।

किसी भी समाज में न्यायपालिका ही ऐसा एक मात्र संस्थान है, जहॉ राज्य तथा राज तंत्र के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले कार्यो की संवैधानिक एवं वैधानिक समीक्षा की जाती है। भ्रष्टाचार निवारण कानून का उपयोग संविधि के उद्देश्यों के अनुरूप किया जाता है या सांविधिक प्रावधानों की आड़ में कहीं विद्वेषपूर्ण अभियोजन तो नही किया जा रहा है इन सभी मामलों की ओर न्यायपालिका की सतर्क निगरानी है।

अध्ययनों एवं लोक सर्वेक्षणों में इस जन आवधारणा को मजबूत किया है कि भारत में सरकार द्वारा उठाये गये अनेक कदमों के बावजूद भी भ्रष्टाचार बना हुआ है।

संदर्भ

1. सक्सेना चित्रा, म.प्र./छ.ग. भ्रष्टाचार विरोधी कानून संस्करण 6, भोपाल, म.प्र. 2013
2. Sen Sankar, Human Rights and Law Enforcement, Article Reforms from top and revolution for the bottom by Subramaniam, New Delhi
3. Gaur K.D. Text book on the Indian Penal Code Ed. 4th 2009, Delhi
4. M.V. Pylee, "Constitutional Goverment in India" (Ist ed. 1960)
5. Hussain Yasir, Corruption free India : Fight to Finish, 2012 New Delhi
6. Katariya R.P. AIR 1996 SC 2005:(1996)4 SCC 622
7. 1984 AIR 684
8. 1971 AIR 786
9. (1998) I SCC 226